उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 26.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -26.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 26.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 26.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 26.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना अजनर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न, दिये गये निर्देश।

- आज दिनांक 26.02.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा आगामी त्योहार रमजान, ईद-उल-फितर एवं होली के दृष्टिगत थाना अजनर परिसर में पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य त्योहारों को सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना रहा।
- बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं, मस्जिदों के प्रबंधकों, ताजियादारों, पीस कमेटी सदस्यों सहित संभ्रांत व्यक्तियों ने प्रतिभाग कर अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा उपस्थित सभी से आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं पारस्परिक सम्मान बनाए रखने की अपील की गई।
- उन्होंने कहा कि रमजान, ईद-उल-फितर एवं होली जैसे पर्व सामाजिक समरसता और एकता के प्रतीक हैं। अतः सभी लोग परंपराओं का पालन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न करें।
- बैठक में साफ-सफाई, जुलूस मार्ग, नमाज स्थलों की व्यवस्था, होलिका दहन स्थलों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- थाना प्रभारी अजनर द्वारा अवगत कराया गया कि त्योहारों के दौरान क्षेत्र में सतत गश्त, मिश्रित पुलिस बल की तैनाती एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना अजनर का आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेखों की गहन समीक्षा कर आगामी त्योहारों हेतु दिए सख्त निर्देश

- आज दिनांक 26.02.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना अजनर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय परिसर, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति कक्ष एवं अन्य शाखाओं का क्रमवार अवलोकन किया गया।
- निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे विभिन्न अभिलेखों, अपराध पंजिका, जनशिकायत रजिस्टर, महिला संबंधित प्रकरणों के अभिलेख, मिशन शक्ति केंद्र रजिस्टर तथा अन्य लंबित अहिकमातों की गहन समीक्षा की गई। अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, अद्यतन प्रविष्टियों तथा लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा विशेष रूप से महिला संबंधी अपराधों एवं शिकायतों में संवेदनशीलता, तत्परता एवं गुणवत्ता पूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण तथा जनजागरूकता गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए।
- आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में व्यापक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां विशेष सतर्कता बरतने, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पैदल गश्त एवं फ्लैग मार्च करने, शांति समिति के सदस्यों से सतत संवाद बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्टों की सतत निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, असामाजिक एवं अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने, प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने, रात्रि गश्त को सुदृढ़ करने तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अंत में समस्त पुलिस बल को अनुशासन, सतर्कता एवं जनसहभागिता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी आगामी त्योहार सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराए जाएं तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सुदृढ़ एवं नियंत्रण में रखी जाए।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 26.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा
01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी दीपक दुबे के कुशल पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित टीम उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा एवं उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 10/2026 धारा 117(2)/126(2)/115(2)/351(2)/110 बीएनएस, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा 01 नफर वांछित अभियुक्त को बिलखी तिगैला स्थित यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

आशीष राजपूत पुत्र धर्मजीत उर्फ कामबिलोरी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम मुरानी, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

अभियोग विवरण–

मु0अ0सं0 10/2026 धारा 117(2)/126(2)/115(2)/351(2)/110 बीएनएस, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2. उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 03 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।

आज दिनांक 26.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 16 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 03 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राज़ी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0कां0 अनुप्रिया, म0कां0 आरती यादव, म0कां0 साक्षी सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती अंशु शिवहरे, श्री रामजी गुप्ता, व श्री शिव कुमार गोस्वामी आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 26.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा पशु चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में चलाए जा रहे रोकथाम जुर्म-जरायम, तलाश वाछिंत/वारंटी अभियान के अंतर्गत थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 22.02.2026 को वादी भगवानदास पुत्र किशोरीलाल निवासी नेताजी वार्ड, कस्बा/थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि उनके बाड़े में रामलला मंदिर के पीछे बंधी 03 भैंस व 01 पड़िया को अज्ञात चोरों द्वारा पिकअप वाहन संख्या UP95 AT 4297 से चोरी कर लिया गया है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पुलिस कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हरीशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा यादव चौराहा, कस्बा कुलपहाड़ के पास से 02 अभियुक्तों को पशु चोरी में प्रयुक्त वाहन UP95AT4297 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रहीस मुहम्मद पुत्र गनी मुहम्मद उम्र 23 वर्ष निवासी बजरंग कॉलोनी, थाना श्रीनगर, महोबा
2.अली अहमद पुत्र अल्लादीन, उम्र 32 वर्ष, निवासी दाउपुरा, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा
बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

बरामदगी विवरण-

- अभियुक्त रहीस के कब्जे से ₹10,000 नगद व 01 मोबाइल
- अभियुक्त अली अहमद के कब्जे से ₹14,500 नगद व 01 मोबाइल
- पशु चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UP95AT4297 (धारा 207 MV Act में सीज)

अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए पशुओं को ₹1,15,000 में बेचने की बात स्वीकार की गई, जिसमें से उपरोक्त धनराशि बरामद की गई है।

प्रकाश में आए अन्य वाछिंत अभियुक्त-

पूछताछ के दौरान निम्न अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं –
1.नवाजिस खान पुत्र नजीर खान निवासी मुहल्ला बजरंग कॉलोनी कस्बा व थाना श्रीनगर
2.अनवर खान उर्फ अन्नू पुत्र अज्ञात निवासी बजरंग कॉलोनी कस्बा व थाना श्रीनगर हाल पता आर्मी कैंप के पहले ईशानगर रोड कस्बा व थाना नौगांव, जनपद छतरपुर (म0प्र0)
3.रवि रैकवार पुत्र सुरेश धीमर निवासी कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
4.रोशन पुत्र प्यारेलाल रैकवार निवासी ग्राम पथनौड़ी थाना राठ जनपद हमीरपुर
इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव
2. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
3. उ0नि0 विकास तिवारी
4. कां0 ओमप्रकाश शर्मा
5. कां0 विक्की चौधरी

महोबा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

लोकसेवक को कर्तव्य से रोकने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व ₹25,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप ए.डी.जे प्रथम महोबा द्वारा लोकसेवक को कर्तव्य से रोकने वाले आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं ₹ 25 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 2340/2013 धारा 353 भादवि से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त वहीद पुत्र सलीम निवासी नौगवां थाना सहजाद नगर रामपुर (उ0प्र0) को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02 वर्ष के कारावास एवं ₹ 25 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा